मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 3, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री , मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर में संचालित मैजिक आटो एवं मिनी बसों के परमिट निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलखन सिंह, मदन कुशवाह, परसराम मुद्गल, सदस्य, रीवा जिले के त्यौंथर क्षेत्र के विधायक के परिजन एवं ड्रायवर के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के -

(क) ओंकारेश्वर में यात्रियों से लिये जाने वाले यात्री कर बंद कराये जाने,

(ख) भगवंत सागर डेम से जसवाड़ी लोहारी ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने,

(ग) नगर की पेयजल योजना के कार्य की जांच एवं निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,

(घ) नगर के गरीब परिवारों एवं झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिये शासकीय आवासों का निर्माण कराये जाने,

(ङ) नगर में प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने,

(च) जिला चिकित्सालय में रेडक्रास की दुकान से गरीबों को दवाईयां उपलब्ध कराये जाने,

(छ) नगर में श्री 1008 दादाजी महाराज दरबार को शासकीय ट्रस्ट बनाये जाने,

(ज) संजय नगर एवं दादाजी वार्ड में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(झ) शहर में संगीत महाविद्यालय खोले जाने,

(ञ) नगर के मध्य संचालित औद्योगिक इकाईयों को नगर के बाहर अन्यत्र स्थापित किये जाने,

(ट) नगर में संचालित स्लाटर हाउस को शहर के बाहर स्थापित किये जाने,

(ठ) पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना की क्षमता बढ़ाये जाने,

(ड) नगर से आबकारी विभाग के गोडाउन को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने, तथा

(ढ) स्वर्गीय किशोर कुमार के आवास का अधिग्रहण कर स्मारक बनाये जाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम दिनारा के हाट बाजार के पास हैण्डपंप खनन कराये जाने,

(ख) नरवर तहसील में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय खोले जाने,

(ग) नरवर तहसील में कचरे से बिजली बनाये जाने का संयत्र स्थापित किये जाने,

(घ) पुरानी तहसील से एस.डी.ओ.पी. के कार्यालय तक सड़क निर्माण की स्वीकृति किये जाने,

(ङ) ग्राम पंचायत सीहोर में पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने,

(च) नरवर मगरौनी क्षेत्र के मध्य कालेज खोले जाने,

(छ) ग्राम लालसिंह की मढ़िया में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये जाने,

(ज) ग्राम मदारी में स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने , तथा

(झ) ग्राम सुनारी में संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के शासकीय हाई स्कूल तिलैया का उन्नयन किये जाने,

(4) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम अवन्तीपुर बड़ोदिया के बीच पुल निर्माण कराये जाने,

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के कोष्ठी जाति के व्यक्तियों को शासकीय नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

30 मि. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

30 मि. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

1 घन्टा उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

30 मि. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

30 मि. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, डॉ. गोविद सिंह, श्री रामनिवास रावत तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 नवम्बर, 2010